राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री पंकज बड़गुर्जर (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या	तारीख रजू :	निर्णय दिनांक
1511 / 2015 (05 / 12)	01.01.2015 (04.01.2012)	15.02.2024

उनवान:

1. शादीलाल पुत्र गोरधन उम्र 77 साल जाति अहीर निवासी बजाड़ तह0 नारनौल हरि0
2. शेरसिंह उम्र 74 साल पुत्र गोरधन जाति अहीर निवासी बजाड़ तह0 नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरि0..........मृतक

2/1 कैलाश पुत्री स्व.शेरसिंह जाति अहीर निवासी बजाड़ तह0 नारनौल हरि0

2/2 औमकला पुत्री स्व. शेरसिंह जाति अहीर निवासी बजाड़ तह0 नारनौल हरि0

2/3 राजेश पुत्री स्व. शेरसिंह जाति अहीर निवासी बजाड़ तह0 नारनौल हरि0

2/4 सुदेश पुत्री स्व. शेरसिंह जाति अहीर निवासी बजाड़ तह0 नारनौल हरि0

2/5 परमानन्द पुत्र स्व. शेरसिंह जाति अहीर निवासी बजाड़ तह0 नारनौल हरि0

2/6 मनीराम पुत्र स्व. शेरसिंह जाति अहीर निवासी बजाड़ तह0 नारनौल हरि0

बनाम .....वादीगण

1. रामसिंह पुत्र कन्हीराम जाति अहीर निवासी बजाड़ तह0 नारनौल हरि0.....मृतक

1/1 सत्यवीर पुत्र स्व. रामसिंह जाति अहीर निवासी बजाड़ तह0 नारनौल हरि0

1/2 सुशील भारती पुत्र स्व. रामसिंह जाति अहीर निवासी बजाड़ तह0 नारनौल हरि0

1/3 सविता पत्नी स्व. विरेन्द्र पुत्र रामसिंह जाति अहीर निवासी बजाड़ तह0 नारनौल हरि0

1/4 अर्जुन पुत्र स्व. विरेन्द्र पुत्र रामसिंह जाति अहीर निवासी बजाड़ तह0 नारनौल हरि0

1/5 अजीत पुत्र स्व. विरेन्द्र पुत्र रामसिंह जाति अहीर निवासी बजाड़ तह0 नारनौल हरि0

2. रामप्रताप पुत्र कन्हीराम जाति अहीर निवासी बजाड़ तह0 नारनौल हरि0
3. अमरसिंह पुत्र मुरली जाति अहीर निवासी बजाड़ तह0 नारनौल हरि0
4. रामसिंह पुत्र मुरली जाति अहीर निवासी बजाड़ तह0 नारनौल हरि0
5. बस्तीराम पुत्र मुरली जाति अहीर निवासी बजाड़ तह0 नारनौल हरि0
6. कंवरसिंह पुत्र मुरली जाति अहीर निवासी बजाड़ तह0 नारनौल हरि0
7. उप पंजीयक मांढण तह. मांढण
8. लैण्ड होल्डर मांढण तह0 मांढण
9. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड

.......प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक,दुरूस्ती इन्द्राजात एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी

उपस्थिति :– श्री नोपेन्द्र कुमार शर्मा योग्य अधिवक्ता वादीगण की ओर से

।। निर्णय ।।

वादीगण द्वारा न्यायालय मे राजस्व वाद बाबत इस्तकरार हक,दुरूस्ती इन्द्राजात एवं ईम्तनाई दवामी का इस आशय का पेश किया गया कि खसरा नम्बर 166 रकबा 1.30 167 रकबा 1.09 है0, 172 रकबा 0.45 है0, वाके ग्राम मांढण तह0 मांढण मे स्थित है जो साबिक खसरा नम्बर 31 रकबा 11 बिघा 15 बिस्वा से कायम हुऐ है जो वादीगण की खातेदारी की आराजी है तथा खसरा नम्बर हाल 170 रकबा 0.04 है0, 171 रकबा 0.52 है0 वाके ग्राम मांढण तह0 मांढण मे स्थित है जो साबिक खसरा नम्बर 39 रकबा 2 बिघा से कायम हुऐ है जिसके खातेदार प्रतिवादी सं0 1 व 2 है तथा खसरा नम्बर 168 रकबा 0.30 है0 वाके ग्राम मांढण तह0 मांढण मे स्थित है जो साबिक खसरा नम्बर 41 रकबा 1 बिघा से कायम हुये है जिसके खातेदार प्रतिवादी सं0 3 लगा. 6 का पिता मूरली पुत्र चुन्ना है जो फौत हो गये है।

हम वादीगण के खसरा नम्बर हाल 166,167, 172 का साबिक खसरा नम्बर 31 रकबा 11 बिघा 15 बिस्वा के मुताबिक कुल रकबा 2.94 है0 अंकित होना चाहिऐ था लेकिन बन्दोबस्त संवत 2042 मे बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियो द्वारा बिना पैमाईश किये ही गलती व लापरवाही से 10 एयर रकबा कम करते हुऐ कुल रकबा 2.84 है0 दर्ज कर दिया गया तथा प्रतिवादी सं0 1 व 2 के साबिक खसरा नम्बर 39 रकबा 2 बिघा से कायम नये खसरा नम्बर 170, 171 का कुल रकबा 0.50 है0 अंकित होना चाहिऐ था लेकिन बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियो द्वारा बिना मौके की पैमाईश किये व बिना साबिक रकबा का आंकन किये गलती व लापरवाही से 06 एयर रकबा बढाते हुऐ कुल 0.56 है0 दर्ज कर दिया गया तथा प्रतिवादी सं0 3 लगा0 6 के साबिक खसरा नम्बर 41 रकबा 1 बिघा से कायम नया खसरा नम्बर 168 का कुल रकबा साबिक रकबा के मुताबिक 0.25 है0 दर्ज होना चाहिऐ था लेकिन बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियो ने बिना मौका की पैमाईश किये व बिना साबिक रकबा का अंकलन किये ही गलती व लापरवाही से 05 एयर रकबा बढाते हुऐ 0.30 है0 अंकित कर दिया गया। जबकि बन्दोबस्त विभाग को इस प्रकार से हम वादीगण की आराजी का रकबा कम करने का कोई कानूनी अधिकार नही था। बन्दोबस्त विभाग द्वारा की गई गलती काबिल दुरूस्त होने योग्य है। हम वादीगण को हमारी आराजी के गलत रकबा की जानकारी नही थी लेकिन हम वादीगण द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए जमाबन्दी की नकल ली तब पता चला की हमारी आराजी का रिकार्ड मे रकबा कम दर्ज किया हुआ है इस पर हम वादीगण द्वारा अपनी आराजी का हाल व साबिक रिकार्ड व नक्शा की नकल लेकर मिलान किया तब पता चला की हम वादीगण की आराजी का 10 एयर रकबा दौराने बन्दोबस्त संवत 2042 मे कम कर,उसे प्रतिवादीगण की आराजी मे शामिल कर दिया गया। इसलिए यह दुरूस्ती का दावा पेश किया गया जा रहा है। प्रतिवादी सं0 1 व 2 के खसरा नम्बर 171 रकबा 0.52 है0 मे से 05 एयर भूमि कम की जाकर उसका रकबा 0.52 है0 के स्थान पर 0.47 है0 दर्ज किया जावे एव उक्त 05 एयर रकबा को हम वादीगण के खसरा नम्बर 172 मे शामिल कर उसका रकबा 0.45 है0 के स्थान पर 0.50 है0 दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादी सं0 3 लगा0 6 के खसरा नम्बर 168 रकबा 0.30 है0 मे से 05 एयर भूमि कम की जाकर उसका रकबा 0.30 है0 के स्थान पर 0.25 है0 दर्ज किया जावे तथा उक्त 05 एयर भूमि को हम वादीगण के खसरा नम्बर 167 मे मिलाया जाकर उसका रकबा 1.09 है0 के स्थान पर 1.14 है0 दर्ज किया जाने की घोषणा फरमाई जावे एवं प्रतिवादीगण को हुक्म ईम्तनाई दवामी से पाबन्द किये जावे कि वो गलत रकबा के आधार पर अपनी खातेदारी की आराजी को दिगर जगह रहन बय हिबा व अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल नही करे तथा हम वादीगण को हमारी आराजी पर साबिक रकबा के मुताबिक काश्त करने मे किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नही करे आदि

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मत तलब किये गये। बाद तामिल प्रतिवादी सं0 1 लगा0 6 की ओर से श्री रामपाल शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया गया। दिनांक 24.08.2023 को प्रतिवादी सं0 1/1 लगा. 1/5 की नैशनल अखबार मे तामिल प्रकाशन करने के आदेश दिये गये तथा शेष प्रतिवादीगण असालतन व वकालतन उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गई । प्रतिवादी सं0 1/1 लगा. 1/5 की तामिल नेशनल अखबार मे प्रकाशन करवाने के वावजूद भी उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध दिनांक 25.1.2024 को एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

प्रधिकारी
(...पूतली-बहरोड़)

वादीगण द्वारा अपने दावा के समर्थन मे दस्तावेजी साक्ष्य के रूप मे प्रदर्श सं0 1 से 4 पेश किये गये तथा मौखिक साक्ष्य के रूप मे पी.ड.–1 परमानन्द वादी तथा पी.ड.–2 सोमेश यादव पुत्र सुरेन्द्र कुमार व पी.ड.–3 नवीन कुमार पुत्र हरिकिशन के बयान शपथ पत्र पेश किये गये।

वकील वादीगण की एकपक्षीय वहस सुनी गई। वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यो को दौहराते हुऐ तर्क दिये कि वादीगण की खातेदारी की आराजी का बन्दोवस्त

संवत 2042 मे बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियो द्वारा बिना किसी अदेश के गलती व लापरवाही से 10 एयर रकबा कम कर उसमे से 05 एयर रकबा प्रतिवादीसं0 1व 2 के खसरा नम्बर 171 मे तथा 05 एयर रकबा प्रतिवादीसं0 3 लगा0 6 के खसरा नम्बर 168 मे शामिल कर दिया गया। जबकि मौके पर वादीगण की आराजी का रकबा साबिक रकबा के मुताबिक पूरा है। इसलिए बन्दोबस्त विभाग द्वारा वादीगण की आराजी का जो रकबा कम कर दिया गया उसे दुरूस्त किया जाना न्याय संगत है। वादीगण का वाद पत्रावली मे पेश दस्तावेजात एवं तथ्यो से पूर्ण रूप से साबित है। इसलिए वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावे।

हमने वकील वादीगण की बहस पर गहनता से मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व तथ्यो का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श–1 मिलान क्षेत्रफल संवत 2042 के एवं जमाबन्दी सं0 2030 एवं हाल जमाबन्दी के अवलोकन से वादीगण का वाद साबित पाया जाता है तथा प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद पत्र के खण्डन के लिए कोई साक्ष्य सबूत पेश नही किये गये है। इसलिए वादीगण का वाद साबित होने के कारण डिक्री होने योग्य है।

।। आदेश ।।

अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि खसरा नम्बर 171 रकबा 0.52 है0 वाके ग्राम मांढण मे से 05 एयर रकबा कम किया जाकर उसका रकबा 0.52 है0 के स्थान पर 0.47 है0 दर्ज किया जावे तथा उक्त 05 एयर रकबा को वादीगण के खसरा नम्बर 172 वाके ग्राम मांढण मे मिलाया जाकर उसका रकबा 0.45 है0 के स्थान पर 0.50 है0 दर्ज किया जावे तथा इसी प्रकार नम्बर 168 रकबा 0.30 है0 वाके ग्राम मांढण मे से 05 एयर रकबा कम किया जाकर उसका रकबा 0.30 है0 के स्थान पर 0.25 है0 दर्ज किया जावे तथा उक्त 05 एयर रकबा को वादीगण के खसरा नम्बर 167 वाके ग्राम मांढण मे मिलाया जाकर उसका रकबा 1.09 है0 के स्थान पर 1.14 है0 दर्ज किया जाने की घोषणा की जाती है तथा इसी अनुसार हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात एवं राजस्व नक्शा मे दुरूस्ती करने का आदेश दिया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफतर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 15.2.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

15-02-2024

पंकज बडगूजर (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)
उपखण्ड अधिकारी,नीमराना
(कोटपूतली–बहरोड) राज0

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री पंकज बड़गुर्जर (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या	तारीख रजू :	निर्णय दिनांक
1511 / 2015 (05 / 12)	01.01.2015 (04.01.2012)	15.02.2024

उनवानः

1. शादीलाल पुत्र गोरधन उम्र 77 साल जाति अहीर निवासी बजाड़ तह0 नारनौल हरि0
2. शेरसिंह उम्र 74 साल पुत्र गोरधन जाति अहीर निवासी बजाड़ तह0 नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरि0...........मृतक

2/1 कैलाश पुत्री स्व.शेरसिंह जाति अहीर निवासी बजाड़ तह0 नारनौल हरि0
2/2 औमकला पुत्री स्व. शेरसिंह जाति अहीर निवासी बजाड़ तह0 नारनौल हरि0
2/3 राजेश पुत्री स्व. शेरसिंह जाति अहीर निवासी बजाड़ तह0 नारनौल हरि0
2/4 सुदेश पुत्री स्व. शेरसिंह जाति अहीर निवासी बजाड़ तह0 नारनौल हरि0
2/5 परमानन्द पुत्र स्व. शेरसिंह जाति अहीर निवासी बजाड़ तह0 नारनौल हरि0
2/6 मनीराम पुत्र स्व. शेरसिंह जाति अहीर निवासी बजाड़ तह0 नारनौल हरि0

बनाम .....वादीगण

1. रामसिंह पुत्र कन्हीराम जाति अहीर निवासी बजाड़ तह0 नारनौल हरि0.....मृतक

1/1 सत्यवीर पुत्र स्व. रामसिंह जाति अहीर निवासी बजाड़ तह0 नारनौल हरि0
1/2 सुशील भारती पुत्र स्व. रामसिंह जाति अहीर निवासी बजाड़ तह0 नारनौल हरि0
1/3 सविता पत्नी स्व. विरेन्द्र पुत्र रामसिंह जाति अहीर निवासी बजाड़ तह0 नारनौल हरि0
1/4 अर्जुन पुत्र स्व. विरेन्द्र पुत्र रामसिंह जाति अहीर निवासी बजाड़ तह0 नारनौल हरि0
1/5 अजीत पुत्र स्व. विरेन्द्र पुत्र रामसिंह जाति अहीर निवासी बजाड़ तह0 नारनौल हरि0

2. रामप्रताप पुत्र कन्हीराम जाति अहीर निवासी बजाड़ तह0 नारनौल हरि0
3. अमरसिंह पुत्र मुरली जाति अहीर निवासी बजाड़ तह0 नारनौल हरि0
4. रामसिंह पुत्र मुरली जाति अहीर निवासी बजाड़ तह0 नारनौल हरि0
5. बस्तीराम पुत्र मुरली जाति अहीर निवासी बजाड़ तह0 नारनौल हरि0
6. कंवरसिंह पुत्र मुरली जाति अहीर निवासी बजाड़ तह0 नारनौल हरि0
7. उप पंजीयक मांढण तह. मांढण
8. लैण्ड होल्डर मांढण तह0 मांढण
9. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड

.......प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक,दुरूस्ती इन्द्राजात एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी

उपस्थिति :– श्री नोपेन्द्र कुमार शर्मा योग्य अधिवक्ता वादीगण की ओर से

।। आदेश ।।

अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि खसरा नम्बर 171 रकवा 0.52 है0 वाके ग्राम मांढण मे से 05 एयर रकबा कम किया जाकर उसका रकवा 0.52 है0 के स्थान पर 0.47 है0 दर्ज किया जावे तथा उक्त 05 एयर रकबा को वादीगण के खसरा नम्बर 172 वाके ग्राम मांढण मे मिलाया जाकर उसका रकबा 0.45 है0 के स्थान पर 0.50 है0 दर्ज किया जावे तथा इसी प्रकार नम्बर 168 रकबा 0.30 है0 वाके ग्राम मांढण मे से 05 एयर रकवा कम किया जाकर उसका रकबा 0.30 है0 के स्थान पर 0.25 है0 दर्ज किया जावे तथा उक्त 05 एयर रकवा को वादीगण के खसरा नम्बर 167 वाके ग्राम मांढण मे मिलाया जाकर उसका रकवा 1.09 है0 के स्थान पर 1.14 है0 दर्ज किया जाने की घोषणा की जाती है तथा इसी अनुसार हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात एवं राजस्व नक्शा मे दुरूस्ती करने का आदेश दिया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 15.02.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई ।`

15.02.2024

पंकज बड़गुर्जर
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,नीमराना
(कोटपूतली–बहरोड) राज0

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)